

85/2623 समाप्त - द्वारा कांवर आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र
20-2-24	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संस ने आज कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्ण आवधानुसार दिनांक 2/5/24 को पेश हो।</p>
2-5-24	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रान्वेषित निस्तारण किया जा सकें पत्रावली के तलवी स्कार्ड दिनांक 2-3-5-24 को पेश करें। <i>LM</i></p>
23-5-24	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संस ने आज कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्ण आवधानुसार दिनांक 15-6-24 को पेश हो।</p>
14-6-24	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त / रेस्पोंडेंट पौडा गीन अधिकारी महोदय आज <i>14-6-24</i> पर है। अतः पत्रावली पूर्ण आवधानुसार दिनांक 19-6-24 को पेश हो।</p>
19-6-24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदार होकर नया कम होकर बाद तरतीब तामील दाखिल दफतर हो। <i>LM</i></p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी <u>सीकर</u></p>